

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 944/2024

अनवान : -

1. इकबाल खान पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अशक अली पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुरसेद अली पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. गफुर दीन पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. मकबुल पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. याकूब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. नसीम पत्नि अयुब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. गुलफान पुत्र अयुब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. रोशनी पत्नि आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. आमना पुत्री आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. शहनाज पुत्री आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. असलम पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. महबुब पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. मुस्ताक पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. मोहम्मद रफीक पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. अहमद आरिफ पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. जफरूल पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. शकुर पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. मकबुल पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. रूकसाना पुत्री बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. युनस खान पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. मोहम्मद असलम पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. दाऊद पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. सलीम पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. नजमा पुत्री लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. सलमा पुत्री लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. सलमा पत्नि याकूब पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
27. अनिश पुत्र याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
28. फिरदोस पुत्री याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
29. सुमेया पुत्री याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
30. फिरोज खां पुत्र रसीद खान जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
31. मकसुद पुत्र हकीम जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/11/2024

21


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला नं. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि, किला नं. 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 25/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 5/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्टर भूमि, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 7 की 0.2530 हैक्टर , 14 की 0.2530 हैक्टर भूमि 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 17 की 0.2530 हैक्टर, प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 21 व 22 की 0.5060 हैक्टर भूमि, प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 1/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 2/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 2/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 9 ता 12 व 18 ता 20 प्रत्येक की 0.2530 हैक्टर भूमि, कुल 30 खसरेजात की 5.3130 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 56 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, किला नं. 22 व 23 की 0.5060 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

जमाबंदी में दर्ज शकुरा पुत्री सदीक का देहान्त हो चुका है। शकुरा के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि का पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जो की निम्नानुसार है—

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, 7-14 की 0.5060 हैक्टर भूमि, किला नं. 17 की 0.2530 हैक्टर भूमि व खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर बारानी भूमि रहेगी जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, के एवं प्रतिवादीगण सं. 6 ता 7 ब.हि.ब. 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहेगे।

प्रतिवादीगण सं. 16 ता 19 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 5/1 की 0.0250 हैक्टर


 अधिवक्ता
 नोहर

गै.मु. खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्टर भूमि, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी भूमि एवं प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 20/1 की 0.1265 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर कल 1.6633 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 16 ता 18 के पास 1.5368 हैक्टर भूमि एवं प्रतिवादी सं. 19 के पास 0.1265 हैक्टर भूमि रहेगी।

प्रतिवादीगण सं. 19 ता 26 के पास :-रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, किला नं. 10-11 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर, 20/2 की 0.1265 हैक्टर भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 19 ता 24 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण सं. 25 व 26 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं प्रतिवादी सं. 27 , 28 ने अपना हक व हिस्सा पत्याग कर दिया है।

प्रतिवादीगण सं. 8 ता 15 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर रास्ता, 2/2 की 0.2280 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 12-18 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर नहरी भूमि एवं खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर बाराणी प्रथम भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1.037 हैक्टर एव प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 ब.हि.ब. 0.291 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे।

प्रतिवादीगण सं. 29 व 30 के पास :-रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर भूमि ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे

इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण खाता व लगान अलग-अलग कर जमाबन्दी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी सं 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक राजीनामा वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

21

उपस्थित अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 31 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 32 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र शकूरा, सदस्य प्रमाण पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी में दर्ज शकूरा पुत्री सदीक का देहान्त हो चुका है। शकूरा के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता सं० 51/44 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी का कथन है जमाबंदी में दर्ज शकूरा पुत्री सदीक का देहान्त हो चुका है। शकूरा के जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 15 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार शकूरा के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं

अरजत अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार घोषणा की जाती है—

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, 7-14 की 0.5060 हैक्टर भूमि, किला नं. 17 की 0.2530 हैक्टर भूमि व खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर बारानी भूमि रहेगी जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, के एवं प्रतिवादीगण सं. 6 ता 7 ब.हि.ब. 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

प्रतिवादीगण सं. 16 ता 19 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 5/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्टर भूमि, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी भूमि एवं प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 20/1 की 0.1265 हैक्टर भूमि एवं खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर कल 1.6633 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 16 ता 18 के पास 1.5368 हैक्टर भूमि एवं प्रतिवादी सं. 19 के पास 0.1265 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।


प्रतिवादीगण सं. 19 ता 26 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, किला नं. 10-11 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर, 20/2 की 0.1265 हैक्टर भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 19 ता 24 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण सं. 25 व 26 ब. हि.ब. 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

प्रतिवादीगण सं. 8 ता 15 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर रास्ता, 2/2 की 0.2280 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 12-18 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर नहरी भूमि एवं खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर बारानी प्रथम भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 8

ता 10 ब.हि.ब. 1.037 हैक्टर एव प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 को ब.हि.ब. 0.291 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

प्रतिवादीगण सं. 29 व 30 के पास :-रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 944/2024

अनवान : -

1. इकबाल खांन पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अशक अली पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुरसेद अली पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. गफुर दीन पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. मकबुल पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. याकूब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. नसीम पत्नि अयुब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. गुलफान पुत्र अयुब पुत्र खेर दीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. रोशनी पत्नि आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. आमना पुत्री आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. शहनाज पुत्री आमीन जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. असलम पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. महबुब पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. मुस्ताक पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. मोहम्मद रफीक पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. अहमद आरिफ पुत्र शकुरा पुत्री सदीक जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
16. जफरूल पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. शकुर पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. मकबुल पुत्र बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. रूकसाना पुत्री बली मोहम्मद जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. युनस खान पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. मोहम्मद असलम पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. दाऊद पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. सलीम पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. नजमा पुत्री लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. सलमा पुत्री लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. सलमा पत्नि याकूब पुत्र लियाकत अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
27. अनिश पुत्र याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
28. फिरदोस पुत्री याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
29. सुमेया पुत्री याकूब जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
30. फिरोज खां पुत्र रसीद खान जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
31. मकसुद पुत्र हकीम जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 944 सन 2024 निर्णय दिनांक - 18/11/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष
वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम

Al

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा निम्नानुसार घोषणा की जाती है—

वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 24 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, 7-14 की 0.5060 हैक्टर भूमि, किला नं. 17 की 0.2530 हैक्टर भूमि व खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर बारानी भूमि रहेगी जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, के एंव प्रतिवादीगण सं. 6 ता 7 ब.हि.ब. 1/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

प्रतिवादीगण सं. 16 ता 19 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 313/438 मु.न. 57 के किला न. 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 25/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, प.न. 313/439 मु.न. 64 के किला नं. 5/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 5/2 की 0.2020 हैक्टर भूमि, 5/3 की 0.0260 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 6/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्टर भूमि, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी भूमि एंव प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 20/1 की 0.1265 हैक्टर भूमि एंव खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 23 की 0.2530 हैक्टर कल 1.6633 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 16 ता 18 के पास 1.5368 हैक्टर भूमि एवं प्रतिवादी सं. 19 के पास 0.1265 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।


प्रतिवादीगण सं. 19 ता 26 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 21 की 0.2530 हैक्टर भूमि, प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 1/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 1/2 की 0.2280 हैक्टर नहरी, किला नं. 10-11 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर, 20/2 की 0.1265 हैक्टर भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 19 ता 24 ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा, एवं प्रतिवादीगण सं. 25 व 26 ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

प्रतिवादीगण सं. 8 ता 15 के पास :- रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 2/1 की 0.0250 हैक्टर रास्ता, 2/2 की 0.2280 हैक्टर, 9 की 0.2530 हैक्टर भूमि, 12-18 की 0.5060 हैक्टर भूमि, 19 की 0.2530 हैक्टर नहरी भूमि एवं खाता सं. 50/46 के प.न. 314/439 मु.न. 65 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. रास्ता, 4/2 की 0.2280 हैक्टर बारानी प्रथम भूमि रहेगी जिसमें प्रतिवादीगण सं. 8 ता 10 ब.हि.ब. 1.037 हैक्टर एंव प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 को ब.हि.ब. 0.291 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण सं. 29 व 30 के पास :-रोही मौजा चक 1 NHR-B तहसील नोहर के खाता सं. 51/44 के प.न. 314/438 मु.न. 56 के किला नं. 22 की 0.2530 हैक्टर भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर